संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र की फलिस्तिीन शरणार्थी एजेंसी को 5 मलियिन अमेरकिी डॉलर का योगदान देने की पेशकश की है।

प्रमुख बदिु

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency-UNRWA) के मुख्य बजट में अपने वार्षकि वत्तिीय योगदान को वर्ष 2016 के 1.25 मलियिन अमेरकिी डालर से चार गुना बढ़ाकर वर्ष 2018 में 5 मलियिन अमेरकिी डॉलर कर दयिा है।
- UNRWA में वत्तिीय योगदान की प्रकृत स्वैच्छकि होने के कारण इस वर्ष UNRWA के लयि आवश्यक 1.2 बलियिन अमेरकिी डॉलर की राशि में से केवल 200 मलियिन डॉलर ही प्राप्त हुए है। इससे फलिस्तिीनी शरणार्थयिों को मूलभूत सुवधिाएँ प्रदान करने में समस्या हो रही है।
- UNRWA की एक तदर्थ बैठक में 23 देशों ने फलिस्तिीनी शरणार्थयिों के लयि वत्तिीय सहायता देने की पेशकश की है। भारत ने सभी देशों से वत्तिीय सहायता की राशि में बढ़ोत्तरी की अपील भी की है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, UNRWA की गतविधियिों से शक्षिा में वशिेष लाभ हुआ है साथ ही एजेंसी ने लाखों लोगों को मौलकि सेवाएँ भी प्रदान की हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा वत्तिपोषण में कमी को देखते हुए सदस्य देशों से सहायता राशि बढ़ाने का आह्वान कयि है।
- वर्तमान में फलीस्तीनी शरणार्थयिों की संख्या 5.4 मलियिन है जो पूरे वशि्व के शरणार्थयिों का 20% है।

भारत और फलिस्तिीन:

- वर्तमान में भारत, फलिस्तिीन में संस्थानों, सेवाओं और प्रशक्षिण के माध्यम से क्षमता नरि्माण का कार्य कर रहा है। इसके अतरिक्ति फलिस्तिीनी पेशेवरों को तकनीकी और वत्तिीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- भारत-फलिस्तिीन वकिास साझेदारी के तहत पछिले पाँच वर्षों के दौरान कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगकिी, युवा मामलों, महलिा सशक्तीकरण और मीडयिा के क्षेत्र में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर कयि गए हैं।

UNRWA जॉर्डन, लेबनान, सीरयिा, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। **UNRWA** स्वास्थ्य, शक्षिा, राहत कार्य और सामाजकि सेवाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को मौलकि सुवधिाएँ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहा है।

इज़राइल-फलिस्तिीन संघर्ष

यूरोप में यहूदयिों की जनसंख्या कम परंतु प्रभाव अधकि होने के कारण संघर्ष की स्थति पैदा हुई। इसी दौरान वर्ष 1897 में यहूदी आंदोलन की शुरुआत हुई और वृहद् यहूदी राष्ट्र की महत्त्वाकाँक्षा लयि यहूदयिों ने यूरोप से फलिस्तिीन के क्षेत्रों की ओर पलायन कयि। बाल्फोर घोषणा और साइक्स-पकिॉट (Sykes-Picot Agreement) समझौते के बाद इस क्षेत्र में यहूदयिों का पलायन और बढ़ा, इससे धार्मकि संघर्षो की भी शुरुआत हुई। वर्तमान में यह क्षेत्र वशि्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है।

//

शरणार्थी समस्या:

वर्ष 1948 में इज़राइल के ऊपर मस्ति्र ,जॉर्डन, इराक और सीरिया ने आक्रमण कर दिया। इस घटना के बाद इज़राइल और फलिस्ति्तीन के बीच भी सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। इन सभी घटनाओं के बाद शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई। 6 दिवसीय(Six Days) और योम किप्यूर के युद्धों के बाद तो शरणार्थी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इज़राइल-फलिस्ति्तीन विवाद के वर्तमान कारण:

- येरूशलम पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में संघर्ष होता रहा है। इज़राइल के द्वारा वर्तमान में तेल अवीब से अपनी राजधानी येरुशलम स्थानांतरित करने का भी फलिस्ति्तीन द्वारा विरोध किया गया।
- शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर भी दोनों देशों में मतभिन्नता की स्थिति है। इज़राइल इन्हें फलिस्ति्तीन में पुनर्स्थापित करना चाहता है और फलिस्ति्तीन इन्हें वास्तविक स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की बात कहता है।
- फलिस्ति्तीन, इज़राइल की प्रसारकारी नीतिओं का भी लगातार विरोध कर रहा है।

UN द्वारा उठाये गये कदम:

- वर्ष 1947 में फलिस्ति्तीन-इज़राइल संघर्ष पर स्थायी समिति बनाई गई।
- वर्ष 1973 में सीज़ फायर रोकने के लिये संकल्प 338 पारित किया गया।
- ओस्लो शांति समझौते, मेड्रिड शांति प्रिक्रिया, कैंप डेविड सम्मेलन के माध्यम से भी इस समस्या के समाधान के समाधान के प्रयास किये गए।
- यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका (US), संयुक्त राष्ट्र (UN) और रूस द्वारा वर्ष 2003 में एक शांति प्रिस्ताव लाया गया।
- येरूशलम को राजधानी निर्धारित करने पर भी महासभा द्वारा इज़राइल की आलोचना की गई।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी आज तक इस समस्या का समाधान नही किया जा सका है।

इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण:

- भारत वर्ष 1974 में फलिस्ति्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर-इस्लामिक राष्ट्र था। भारत ने UN में फलिस्ति्तीन की पूर्ण सदस्यता और येरुशलम को राजधानी बनाने संबंधी प्रस्तावों का भी सदैव समर्थन किया है। वर्तमान की बदलती भू-राजनीति और कृषि के आधुनिकीकरण, हथियार, विज्ञान प्रौद्यौगिकी जैसी आवश्यकताओं के कारण भारत का झुकाव इज़राइल की तरफ हो रहा है।
- भारत को इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति के साथ ही साथ अरब में बड़ी संख्या में भारतीयों की संख्या और खनिज तेल आवश्यकता के मद्देनज़र अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिये।

आगे की राह :

- दो राज्य समाधान को मूर्त रूप प्रदान किया जाये।
- इस मुद्दे पर अरब देशों के बजाय फलिस्ति्तीन को अपना पक्ष रखने दिया जाए साथ ही अरब-इज़राइल संघर्ष समाधान के लिये अलग से प्रयास किये जाएँ।
- वर्तमान मे शरणार्थियों के लियेबेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये जाए।

- शरणार्थियों के कार्यक्रमों के लिये वित्त की कमी को दूर करने के लिये UN में विशेष संकल्प पारित किया जाए।

स्रोत : बिजनेस स्टैंडर्ट

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/united-nations-relief-and-work-agency